संख्याः-05/2017/1639/सोलह-प्रा0शि0-1-2017-14(54)/2012

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम
प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2017**

विषयः- डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के नियंत्रणाधीन डिग्री अभियंत्रण संस्थाओं/व्यावसायिक संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2017-18 की राज्य प्रवेश परीक्षा/काउंसिलिंग/यू0पी0एस0ई0ई0-2017 से संबंधित निर्गत शासनादेश दिनांक 02.01.2017 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-ए0के0टी0यू0/कुस0का0/प्र0प0/2017/586 दिनांक 08.05.2017 एवं अपने पत्र संख्या-ए0के0टी0यू0/कुस0का0/2017/637 दिनांक 10.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें केन्द्रीय प्रवेश समिति की दिनांक 06.05.2017 को सम्पन्न हुई बैठक के मद संख्या 2.05 में समिति द्वारा निजी अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में सीधे प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त बची सीटों पर प्रवेश संबंधी शासनादेश संख्या-5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 02.01.2017 के बिन्दु-2(V) में संशोधन किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरोक्त पत्र में किये गये प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश संख्या-5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 02.01.2017 के बिन्दु-2(V) में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश का बिन्दु सं0	**वर्तमान प्राविधान**	**संशोधित प्राविधान**
2(V)	काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी:- 1. ए0आई0ई0ई0ई0 (जे0ई0ई0 मेन्स रैंक) 2. यू0पी0एस0ई0ई0 रैंक 3. 10+2 की मेरिट, जो अभ्यर्थी ए0आई0ई0ई0ई0 (जे0ई0ई0	काउन्सिलिंग के उपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में रिक्त बची सीटों के प्रवेश हेतु संस्था स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्नानुसार मेरिट के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी:- 1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी निजी अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों में यू0पी0एस0ई0ई0-2017, जे0ई0ई0 मेन्स, किसी राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

	मेन्स)/यू0पी0एस0ई0ई0 अथवा किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किये गये हैं।	2. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10+2 अथवा समकक्ष स्तर पर पी0सी0एम0/ पी0सी0बी0 विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 55 प्रतिशत) अंकों के साथ बिना ग्रेस/कृपांक के उत्तीर्ण हों। एम0बी0ए0/एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक स्नातक/समकक्ष स्तर पर 55 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 50 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण। उक्त प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा एक पोर्टल ओपेन किया जाएगा, जिसमें 10+2 अथवा समकक्ष स्तर पर पी0सी0एम0/पी0सी0बी0 विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 55 प्रतिशत) अंकों के साथ बिना ग्रेस/कृपांक के उत्तीर्ण तथा एम0बी0ए0/ एम0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक स्नातक/ समकक्ष स्तर पर 55 प्रतिशत (एस0सी0/एस0टी0 50 प्रतिशत) अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं से प्राप्तांकों के आधार पर आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं उनकी वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। सम्बद्ध समस्त निजी अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों द्वारा उक्त प्रदर्शित वरीयता सूची में से रिक्त बची सीटों पर प्रवेश अनुमन्य किया जाएगा।

3. तदनुसार शासनादेश संख्या-5025/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 02.01.2017 सपठित शासनादेश संख्या-197/सोलह-1-2016-14(54)/2012 दिनांक 16.01.2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या व दिनांक तदैवः-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल (कुलाधिपति), उ0प्र0, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
4. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. समस्त निदेशक, शासकीय अनुदानित स्वायत्तशासी अभियंत्रण संस्थान, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।